

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 34/18

Complaint or report made on 13

Name and address of the Complainant

श्री. ए. गुप्ता
आबकारी विभाग
वाणिज्य विभाग
जिला - भिंड

Name, parentage, caste and address of accused

तिलकसिंह/0 नंदमसिंह खिरवाट
डम - 36 मिठ नौनेरा थाना - भावनगर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 01/12/17 मुकाम
रिहपत्री घाट ग्राम - नौनेरा पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 17 लीटर/पाव/बोटल 2000 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिस्क्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

तिलकसिंह

हस्ताक्षर

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of
the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 21/2/2017 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायालय उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये ~~फॉल~~ शब्दों में पाँच लाख रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
4. जप्तशुदा सम्पत्ति 17 लीटर/पाव/बोतल 5 लीटर शराब ल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार छकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का लन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

रायिक सचिव/टंकित

10/2

10/2